संख्याः एडीजी परिपत्र- 02 /2013

अरूण कुमार,
आई.पी.एस.

अपर पुलिस महानिदेशक
(अपराध एवं कानून-व्यवस्था)
उत्तर प्रदेश
1- तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः मार्च 14 , 2013

विषयः- जनपदों में नियुक्त अपर पुलिस अधीक्षक 'अपराध' के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के निर्धारण।

प्रिय महोदय,

कतिपय जनपदों में अपर पुलिस अधीक्षक 'अपराध' के पद सृजित किए गए हैं। परन्तु यह देखा जा रहा है कि इन पदों पर नियुक्त अधिकारियों के कार्य एवं उत्तरदायित्व निर्धारित न होने के कारण इनका समुचित सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। इस कारण पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के निर्देशानुसार आदेश संख्या डीजी-2ब-28(4)2011, दिनांक 23.01.2013 द्वारा एक समिति का गठन कर अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक 'अपराध' पद के कार्य एवं उत्तरदायित्व निर्धारित करने के निर्देश दिए गए।

उक्त गोष्ठी में उपस्थित अधिकारियों द्वारा जनपदों में नियुक्त अपर पुलिस अधीक्षक 'अपराध' द्वारा वर्तमान में सम्पादित किए जा रहे कार्यों, सौंपे गए उत्तरदायित्वों, जनपद स्तर से उपलब्ध कराए गए संसाधनों एवं सहवर्ती स्टाफ का विवरण प्राप्त किया गया। विभिन्न जनपदों से प्राप्त सूचनाओं के संकलित विवरण का अवलोकन कर अपर पुलिस अधीक्षक 'अपराध' के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के निर्धारण के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया तो यह पाया गया कि सभी जनपदों में पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी सुविधानुसार अलग-अलग प्रकार से अपर पुलिस अधीक्षक 'अपराध' को कार्य एवं उत्तरदायित्व सौंपे गये हैं, फलस्वरूप यह पाया गया कि जनपदों में अपर पुलिस अधीक्षक 'अपराध' पद की वैधता (Legitimacy), उत्तरदायित्व(Responsibility) एवं जवाबदेही(Accountability) तय किये जाने की नितान्त आवश्यकता है एवं जिन उद्देश्यों के लिए यह पद सृजित किया गया है उनकी पूर्ति नहीं हो रही है ।

अपर पुलिस अधीक्षक 'अपराध' के पद की वैधता, जवाबदेही एवं उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु समिति द्वारा निम्नांकित 02 प्रकार की योजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया :-

(1) वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था में संगठनात्मक ढांचे को थोड़ा बदलते हुए अपर पुलिस अधीक्षक'अपराध' के कार्य एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए जायं ।

(2) बड़े शहरों(Metropolitan Cities) में प्रचलित क्राइम ब्रान्च की भांति प्रदेश के सभी जनपदों में अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक 'अपराध' के पद की जवाबदेही निर्धारित करते हुए विधिक रूप से संस्थापित कराया जाय, ताकि आम जनता में इस पद की स्वीकार्यता तथा विश्वास बढ़े ।

समिति द्वारा मुम्बई पुलिस की क्राइम ब्रान्च के संगठनात्मक ढांचे एवं कार्यो के अध्ययन किया गया।

जनपद लखनऊ में स्थानीय स्तर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा क्राइम ब्रान्च का गठन किया गया है, जो अपर पुलिस अधीक्षक 'अपराध' के नियन्त्रणाधीन कार्य करती है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में लखनऊ में मुथूट फाइनेन्स कम्पनी में हुई करोड़ो की लूट की घटना का अनावरण जनपद लखनऊ की क्राइम ब्रान्च द्वारा किया गया है। फलस्वरूप प्रदेश के अन्य जनपदों में भी क्राइम ब्रान्च के गठन की आवश्यकता प्रतीत होती है एवं जिन जनपदों में अपर पुलिस अधीक्षक 'अपराध' के पद स्वीकृत नहीं हैं, वहां भी जनपद के किसी क्षेत्राधिकारी को पुलिस उपाधीक्षक 'अपराध' नामित किए जाने के औचित्य पर विचार किया जा सकता है।

समिति के सुझाव-

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समिति के सुझावों के अनुमोदनोपरान्त क्राइम ब्रांच हेतु संसाधन, जनशक्ति एवं उत्तरदायित्व निम्न प्रकार निर्धारित किये जाते हैं :-

1. संगठनात्मक ढांचा

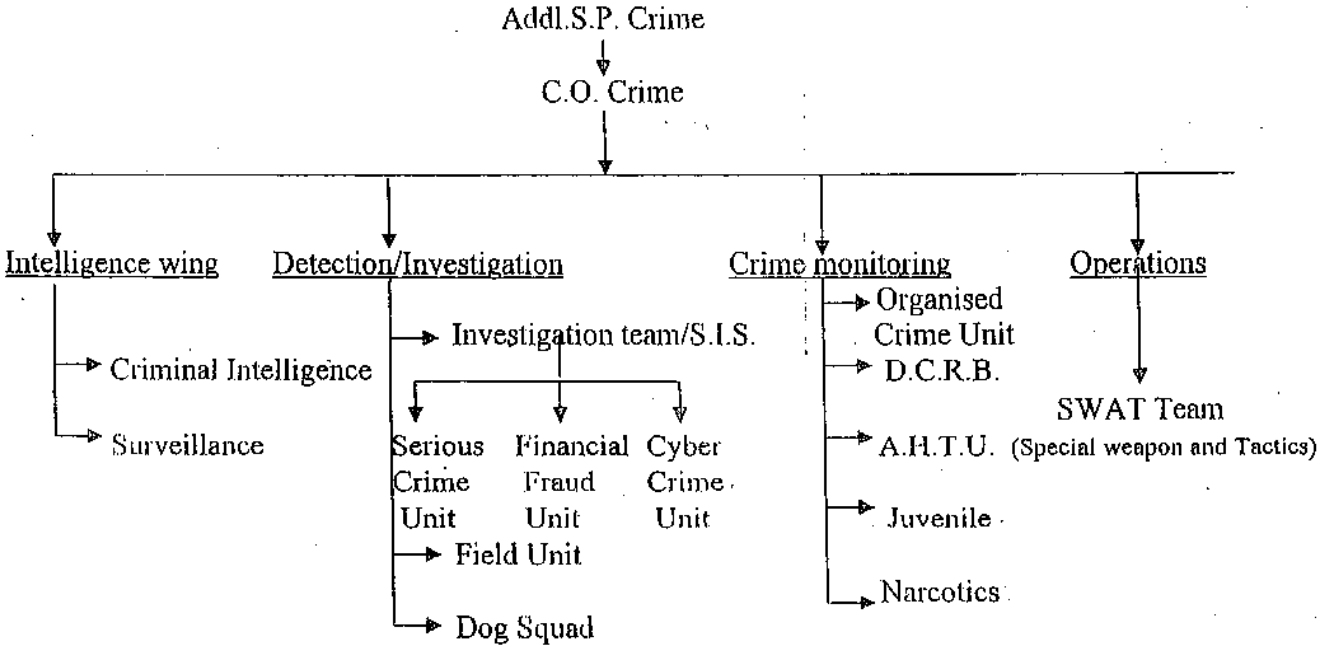

(1) उपरोक्तानुसार गठित क्राइम ब्रान्च के प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध होंगे ।

(2) जिन जनपदों में अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध के पद स्वीकृत नहीं है वहाँ पर प्रभारी जनपदीय पुलिस अधीक्षक द्वारा एक पुलिस उपाधीक्षक को क्षेत्राधिकारी 'अपराध' के पद पर नियुक्त किया जायेगा। इस प्रकार प्रत्येक जनपद में प्रभारी राजपत्रित अधिकारी 'अपराध' के पद पर एक अधिकारी नियुक्त रहेगा ।

(3) जनपदीय प्रभारी पुलिस अधीक्षक ऐसे सनसनीखेज अपराध अथवा अन्य अपराध जो पुलिस अधीक्षक की राय में थाने से वर्कआउट होना सम्भव नहीं है, उन्हें क्राइम ब्रान्च को विवेचना हेतु हस्तान्तरित करेगें । उसके उपरान्त प्रभारी क्राइम ब्रान्च का यह उत्तरदायित्व होगा कि क्राइम ब्रान्च के संसाधनों का सदुपयोग करते हुए जनपदीय पुलिस का आवश्यकतानुसार सहयोग प्राप्त करते हुए विवेचना सम्पादित करायेंगे ।

(4) ऐसे सनसनीखेज अपराधों के अतिरिक्त कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिनकी विवेचना हेतु विशेष योग्यता की आवश्यकता रहती है। जैसे आर्थिक धोखाधड़ी के अपराध, मनी लॉड्रिंग, साइबर क्राइम आदि जिनकी विवेचना थाना स्तर से कराने में कठिनाई होती है। अतः ऐसे मामलों के लिए क्राइम ब्रान्च में फाइनेन्सियल फ्राड यूनिट व साइबर क्राइम सेल गठित होंगे तथा इनमें सुयोग्य विवेचकों को तैनात किया जायेगा जिससे अनुभव के आधार पर एक सुदृढ़ यूनिट संस्थापित हो सके।

(5) जनपद की क्राइम ब्रान्च पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद के अन्तर्गत ही होगी तथा प्रभारी पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार ही इसमें विवेचनायें हस्तान्तरित होगीं। अतः क्राइम ब्रान्च का कार्यक्षेत्र पूरा जनपद होगा ।

(6) अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक 'अपराध' को उनके पद हेतु निर्धारित कार्य ही सौंपे जायं अन्य कोई अतिरिक्त कार्य न दिया जाय और न ही उनकी अन्यत्र विविध ड्यूटियां लगाई जायं ।

(7) क्राइम ब्रान्च के समस्त कर्मियों की रवानगी/वापसी हेतु जी0डी0 नियमित रूप से चलाई जायेगी ।

(8) पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद द्वारा क्राइम ब्रान्च हेतु उचित एवं पर्याप्त स्थान तथा वाहन आदि उपलब्ध करायें जायेगें ।

(9) उपरोक्त ढॉचे में दर्शाये गये विशेष दस्ते जैसे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल एवं डाग स्क्वायड यूनिट जिन जनपदों में स्वीकृत है वे क्राइम ब्रान्च में समाहित होंगे एवं जिन जनपदों में यह यूनिट स्वीकृत नहीं है यथासमय जब स्वीकृत होंगे तब क्राइम ब्रान्च का हिस्सा बनेगें ।

2. क्राइम ब्रान्च के कार्य एवं उत्तरदायित्व

(i) अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक 'अपराध' अपने जनपद की क्राइम ब्रान्च के प्रभारी होंगे।

(ii) क्राइम ब्रान्च की 04 शाखायें क्रमशः Intelligence wing, Detection/Investigation, Crime monitoring एवं Operations होंगे। इन शाखाओं के अन्तर्गत इकाईयों में उनके प्रभारियों की नियुक्ति पूर्व प्रचलित व्यवस्था के अनुसार की जायेगी ।

Intelligence wing

इस शाखा द्वारा सामान्य अपराधिक अभिसूचना संकलन के साथ ही विशेषकर संगठित गिरोहों तथा आतंकवादी संगठनों के क्रियाकलाप के सम्बन्ध में अपराधिक अभिसूचना संकलन का कार्य किया जायेगा। साथ ही सर्विलान्स सेल भी इस इकाई के अधीन कार्य करेगी। इन शाखाओं हेतु नियुक्त किये जाने वाले स्टाफ का मानक निम्नवत होगा-

(1) जनपद 'ए' श्रेणी	उ0नि0- 04 एवं आरक्षी- 16
(2) जनपद 'बी' श्रेणी	उ0नि0- 02 एवं आरक्षी- 08
(3) जनपद 'सी' श्रेणी	उ0नि0- 01 एवं आरक्षी- 04

- क्राइम ब्रान्च द्वारा जनपद के थानों के साथ लाइजन बनाकर अपराधों की रोकथाम हेतु अपना उचित सहयोग प्रदान किया जायेगा ।

Detection/Investigation

- इस शाखा के अन्तर्गत विवेचना टीम(Investigation Team/S.I.S.), फील्ड यूनिट एवं डॉग स्क्वाड कार्य करेंगे। Investigation Team/S.I.S. के अन्तर्गत 03 शाखायें क्रमशः Serious Crime Unit, Financial Fraud Unit एवं Cyber Crime Cell होंगी। क्राइम ब्रान्च को आबंटित विवेचनाओं का निस्तारण प्रभारी जनपद के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक 'अपराध' के नियंत्रणाधीन इन टीमों के माध्यम से किया जायेगा।

- इसके अतिरिक्त जनपदों में उपलब्ध डॉग स्क्वाड एवं फील्ड यूनिट द्वारा जनपद में घटित अपराधों के घटनास्थल पर जाकर साक्ष्य संकलन एवं विवेचना में यथावांछित सहयोग किया जायेगा तथा अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक 'अपराध' यह सुनिश्चित करेंगे कि इन यूनिटों द्वारा जनपदीय पुलिस को अपेक्षित सहयोग किया जा रहा है ।

- प्रभारी जनपद द्वारा क्राइम ब्रान्च को सौंपी जाने वाली सनसनीखेज अपराधों की विवेचना तत्काल ग्रहण की जायेगी एवं ऐसे अपराधों के अनावरण का उत्तरदायित्व अपर पुलिस अधीक्षक अपराध का होगा एवं प्रभारी जनपद भी ऐसे प्रकरण की समय-समय पर समीक्षा करते रहेंगे
- Investigation Team/S.I.S. शाखा को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु एस.आई.एस. हेतु निर्धारित स्टाफ के अतिरिक्त स्टाफ का मानक निम्नवत होगा :-

(1) जनपद 'ए' श्रेणी — उ0नि0- 12 एवं आरक्षी- 12
(2) जनपद 'बी' श्रेणी — उ0नि0- 06 एवं आरक्षी- 06
(3) जनपद 'सी' श्रेणी — उ0नि0- 04 एवं आरक्षी- 04

- Investigation शाखा हेतु एक वाहन अलग से उपलब्ध कराया जायेगा ।

Crime monitoring

- इस शाखा के अन्तर्गत संगठित अपराध सेल, डी0सी0आर0बी0, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल, गुमशुदा प्रकोष्ठ एवं नारकोटिक्स सेल होंगे।
- संगठित गिरोहों के अभिलेखीकरण का कार्य अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक 'अपराध' द्वारा किया जायेगा तथा अपराध नियन्त्रण की दिशा में प्रभारी जनपद को फीड बैक दिया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में अपेक्षित सहयोग किया जायेगा ।
- इसकी शाखाओं हेतु पूर्व से निर्धारित स्टाफ यथावत नियुक्त किया जायेगा।

Operations

- क्राइम ब्रान्च में आप्रेशन्स विंग एक ऐसा कार्यकारी बल होगा जो अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध के निर्देशन में प्रचलित विवेचनाओं अथवा अन्य सूचनाओं पर दबिश/गिरफ्तारी आदि कार्यवाहियाँ सम्पन्न करेगा । यह कार्यकारी बल SWAT Team के नाम से जाना जायेगा ।
- तत्कालीन अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून-व्यवस्था, उ0प्र0 के परिपत्र संख्या एडीजी-क्रा0 एंड एलओ-3/99, दिनांक 24.2.99 द्वारा जनपदों में एस0ओ0जी0 के गठन सम्बन्धी आदेश निरस्त करते हुए Special Weapons And Tactics Team (SWAT Team) का गठन किया जायेगा। एस0ओ0जी0 में नियुक्त रहे कर्मियों के कार्यों की समीक्षा के उपरान्त उपयुक्त पाए गए कर्मियों एवं आवश्यकतानुसार अन्य अच्छे कर्मियों को SWAT Team में नियुक्त किया जायेगा। SWAT Team के कर्मियों द्वारा भी नियमानुसार जी0डी0 में आमद-रवानगी की जायेगी।
- SWAT Team हेतु उ0नि0-01, मु0आ0-01 एवं आरक्षी-08 नियुक्त किये जायेंगे ।
- S.O.G.हेतु उपलब्ध वाहन SWAT Team के साथ रहेंगे ।

(iii) जिन थाना क्षेत्र से सम्बंधित सनसनीखेज अपराधों की विवेचना अपर पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपाधीक्षक 'अपराध' के नियन्त्रणाधीन इकाई द्वारा सम्पादित की जायेगी, उन थाना प्रभारियों के वार्षिक गोपनीय मन्तव्य अंकित करने से पूर्व प्रभारी जनपद द्वारा उनके जनपद में नियुक्त अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक 'अपराध' से भी आख्या(Inputs) प्राप्त की जायेगी ।

3. अपर पुलिस अधीक्षक 'अपराध हेतु आवश्यक स्टाफ एवं संसाधन-

जनपदों में नियुक्त अपर पुलिस अधीक्षक 'अपराध' को निम्नवत स्टाफ एवं संसाधन उपलब्ध कराने की संस्तुति समिति द्वारा की गई-

स्टाफ

1. आशुलिपिक-	01
2. पेशकार(उ0नि0)	01
3. हेडपेशी(मु0आ0)	01
4. आरक्षी	03

संसाधन

1. छोटा वाहन मय चालक	01
2. टेलीफोन-02 (01-कार्यालय एवं 01-आवास)	
3. सी0यू0जी0 नम्बर-	01
4. कम्प्यूटर मय सहवर्ती उपकरण-	02

वर्तमान में अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक 'अपराध' के साथ जो सहवर्ती स्टाफ एवं संसाधन उपलब्ध है उसी से कार्य लिया जाय। इसके बाद शासन से स्वीकृत पदों के सापेक्ष अधीनस्थ सहवर्ती स्टाफ एवं संसाधन हेतु प्रस्ताव तैयार कराकर शासन को स्वीकृति हेतु भेजा जायेगा ।

यह परिपत्र पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

14/3/13

(अरूण कुमार)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उ0प्र0। (नाम से)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0।